न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 34 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अजीत महतो वगैरह..... प्रथम पक्ष

बनाम

भजोहरि महतो.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की ग टिप्पणी तारीख सहि

प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, सोनाहातु के अप्राथमिकी सं०–03 / 2017 दिनांक–28 / 03 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है।

प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद आपसी मन मुटाव को लेकर तनाव से उत्पन्न हुआ है।

प्रथम पक्ष गवाही–

प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 अभिमन्यु महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में झगड़ा हुआ था। झगड़ा 13 / 03 / 2017 को अजीत महतो के दरवाजा के सामने हुआ था उस दिन के झगड़ा को ग्राम प्रधान के द्वारा निपटाया गया। 14 / 03 / 2017 को द्वितीय पक्ष के लोगों ने अजीत महतो को पीछे से उसके दरवाजा के सामने मारा। दोनों पक्ष एक ही वंशज के हैं दोनों के पिता भाई–भाई हैं। दोनों पक्ष चचेरे भाई हैं। जमीन का विवाद 2000 में हुआ था, उसके बाद से शांत हो गया था। वर्त्तमान में उभय पक्ष में किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ है, उसे मैं नहीं जानता हूँ, केस होने के बाद उभय पक्ष में आज तक झगड़ा नहीं हुआ है।

गवाह सं०–02 विष्णु चरण मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि इस केस में मैं भी प्रथम पक्ष हूँ। मारपीट को लेकर केस किए हैं, भजोहरि महतो मारपीट किया। दिनांक–13 / 03 / 2017 को अजीत महतो को मारपीट किया घर के बगल में गली में मारपीट किया। इसके बाद कोई घटना नहीं घटी है। उसके बाद 14 / 03 / 2017 दिन मंगलवार, समय 04–05 बजे बाहर से आदमी लोग आए और बोले कि प्रथम पक्ष को उठा लेना है। उस घटना के बाद हम दोनों पक्ष मे किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। अभी वर्त्तमान में हमलोग दोनों पक्ष शांति पूर्वक हैं।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश टिप्पणी सहित

द्वितीय पक्ष गवाही–

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 श्रीकान्त मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि होली के दिन भजोहरि महतो आ रहा था एवं अजीत महतो आंगन में खड़ा था और भी लोग थे होली खेल रहे थे भजोहरि महतो के आने पर दोनों पक्ष में बोला–बोली हुआ और मामला बढ़ा। शाम में प्रथम पक्ष एकजुट होकर द्वितीय पक्ष को गाली गलौज करने लगे दूसरे दिन भजोहरि के घर पर कोई आदमी आया था और झगड़ा हुआ था उसे मैं नहीं जानता हूँ। होली के बाद से अभी तक उभय पक्ष में कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। अभी वर्त्तमान में दोनों पक्ष को मैं शांतिपूर्वक रहते देख रहा हूँ। अभी भी उभय पक्ष में मन मुटाव है या नहीं मैं नहीं देख पा रहा हूँ।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 भजोहरि महतो (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं सोनाहातु से अपना घर मोटर साईकिल से आ रहा था तब अजीत महतो रास्ता रोका, मैं बोला कि क्यों रोका तो वह बोला कि तुम अपना रास्ता काट के जाओ। अजीत महतो बोला कि तुम्हें काटकर फेंक देंगे और गाली देने लगा। रास्ता रोकन के बाद रात के बाद से आज तक उभय पक्ष में झगड़ा झंझट नहीं हुआ है वर्त्तमान में दोनों पक्ष शांतिपूर्वक हैं । झगड़ा 13/03/2017 को हुआ है झगड़ा आंगन में हुआ था। 14/03/2017 को झगड़ा नहीं हुआ था। मेरा बाहरी आदमी से तालमेल नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि पूर्व में हुए विवाद को लेकर उभय पक्ष में आपसी मन मुटाव है। उभय पक्ष के पिताजी आपस में भाई–भाई हैं। सारे गवाहों एवं कारण पृच्छा से ज्ञात होता है कि इस वाद में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है तथा वाद के दौरान शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि भी नहीं हो पाई। अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।

13/11/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।